


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता (विषय उर्दू) में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता उर्दू को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	अलीरजा, राउमावि.उण्डू तह.शिव बाडमेर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ1 (23-18) RPSC/APPT/HRD/ 2017/3988 दिनांक 21.03.18

संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना अवगत करावें।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 6/04/2018

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/15-16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं वरिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु
6. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
7. संबंधित जिशिअ (मा)
8. संबंधित संस्था प्रधान
9. संबंधित कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर